

मेरठ जोन के अन्तर्गत वसुंधरा योजना गाजियाबाद, सिद्धार्थ विहार, ट्रांसपोर्ट नगर, शास्त्रीनगर, जागृति विहार, माधवपुरम योजना में व्यावसायिक भूखण्डों ग्रुप हाउसिंग/मल्टीप्लेक्स भूखण्ड/दुकानों/संस्थागत एवं हेल्थ सेन्टर आदि की आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी

आवंटन/
नीलामी
दि. 30.05.15

समय
प्रातः 11.00
बजे



आवंटन से निस्तारित होने वाले आवासीय भूखण्ड				
भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	भूमिदर फ्रीहोल्ड सहित (प्र.व.मी.)	अनुमानित मूल्य (लाख में) प्रति नग	पंजीकरण धनराशि
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ				
आवासीय भूखण्ड (सेक्टर-4) 04 नग				
4/894 (Corner) (OBC)	62.72	14784.00	927252	46400
4/898 (OBC)				
4/897 (SC), 4/499 (SC)	62.72	13440.00	842957	42200

नीलामी से निस्तारित होने वाले आवासीय भूखण्ड				
भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	भूमिदर फ्रीहोल्ड सहित (प्र.व.मी.)	अनुमानित मूल्य (लाख में) प्रति नग	पंजीकरण धनराशि
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ				
81 से 170 व.मी. तक भूखण्ड (सेक्टर-4) 06 नग				
2/257 (Gen.) (Corner)	228.00	14784.00	3370752	168538
4/538 (Gen.)	101.67	13440.00	1366445	68322
4/537 (Gen.)	102.72	13440.00	1380557	69028
4/539 (Gen.)	100.62	13440.00	1352333	67617
4/540 (Gen.)	99.57	13440.00	1338221	66911
4/541 (Gen.)	98.52	13440.00	1324109	66205

नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली गैर आवासीय सम्पत्तियों का विवरण								
सम्पत्ति संख्या	आरक्षण	क्षेत्रफल (व.मी. में)	एफ.ए. आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर								
होटल भूखण्ड								
2A/H-1	सामान्य	8088.40	1.50	40%		22916.00	2007.54	200.75
पठानपुरा योजना सं.-1, (विवेकनगर), सहारनपुर								
व्यावसायिक भूखण्ड								
S-19ए		9.62	...	...	...	...	12.08	1.21
S-20		14.196	...	...	...	...	18.16	1.82
पठानपुरा योजना सं.-5, (शहीद मगत सिंह नगर), सहारनपुर								
व्यावसायिक भूखण्ड								
CP-01		481.61	1.20	40%	...	44800.00	254.72	25.47
नोट:- एप्रोच हेतु कोई पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है।								

सम्पत्ति संख्या	आरक्षण	क्षेत्रफल (व.मी. में)	एफ.ए. आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
अशोक विहार योजना, खतौली								
व्यावसायिक भूखण्ड								
B.Com-2	O.B.C	85.79	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	18745.00	16.09	1.61
B.Com-3	Gen	78.20	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	18745.00	14.66	1.47
B.Com-4	Gen	78.20	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	18745.00	14.66	1.47
B.Com-5	Gen	88.32 Corner	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	20620.00	18.22	1.83
B.Com-6	S.C	154.95 Corner	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	20620.00	31.96	3.20
B.Com-7	O.B.C	128.92	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	18745.00	24.17	2.42
B.Com-8	S.C	140.17	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	18745.00	26.28	2.63
B.Com-9	Gen	166.35	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	18745.00	31.19	3.12

आवासीय सम्पत्तियाँ:-नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण:-

शाकुन्तलम योजना, मुजफ्फरनगर						
सम्पत्तियों की श्रेणी / प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षण	आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.)	भवन का आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
80 वर्ग मीटर से बड़ा आवासीय भूखण्ड 01 नग	449	144.72 (Corner)	सामान्य	12320.00	17.83	0.89
अशोक विहार योजना खतौली						
सम्पत्तियों की श्रेणी / प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षण	भूमि दर (प्र.व.मी.)	भवन का आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
80 वर्ग मीटर से बड़े आवासीय भूखण्ड	B-128	295.22	अन्य पिछड़ा वर्ग	7840.00	23.15	1.16
53 / 127 प्रकार	B-145	246.67	सामान्य	7840.00	19.34	0.97
मध्यम आय वर्ग भवन	D-128	127.50	सामान्य	..	15.50	0.78

चरण विहार योजना, बड़ौत						
सम्पत्तियों की श्रेणी / प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षण	भूमि दर (प्र.व.मी.)	भवन का आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
आवासीय भूखण्ड	1A-370	42.21	सामान्य	16800.00	7.10	0.36
	1A-371	30.15	अनुसूचित जाति	16800.00	5.07	0.26
	1A-373	30.15	अनुसूचित जाति	16800.00	5.07	0.26
	1A-374	30.15	अन्य पिछड़ा वर्ग	16800.00	5.07	0.26
	1A-375	30.15	अन्य पिछड़ा वर्ग	16800.00	5.07	0.26
	1A-380	30.15	सामान्य	16800.00	5.07	0.26

आवासीय सम्पत्तियाँ:-लाट्री के माध्यम से आवंटित की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण:-

शाकुम्भरी विहार (मवीकलॉ योजना संख्या-8) सहारनपुर।						
सम्पत्तियों की श्रेणी / प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षण	भूमि दर (प्र.व.मी.)	भवन का आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
18 / 40 प्रकार दुर्बल आय वर्ग भवन 01 नग	2B-189	41.31	सामान्य	..	6.62	0.34

चबूतरे/दुकाने (विस्थापित) वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में विस्थापित श्रेणी में दुकानों हेतु पंजीकृत आवेदकों के मध्य सहमति के आधार पर लाटरी द्वारा आवंटन उपरोक्त दिनांक एवं स्थल पर किया जायेगा। आवंटन में राजस्व गाँव के पंजीकृत व्यक्तियों को वरीयता देते हुए आवंटन किया जायेगा। विस्थापित पंजीकृत आवेदक, जो सम्पत्ति लेने के इच्छुक हो, अपनी सहमति 2 दिन पूर्व तक सम्पत्ति कार्यालय गाजियाबाद में दे सकते हैं। सहमति पत्र कार्यालय से प्राप्त कर उक्त दिनांक तक लिखित सहमति प्राप्त करा सकते हैं। परिषद द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार दुकानों का आवंटन मूल मूल्यांकन की पद्धति (दुकानों का निर्माण मूल्य स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार व वर्तमान भूमि-दर देकर) के अनुसार आवंटित की जायेगी।

नोट:- वसुन्धरा योजना, सिद्धार्थ विहार योजना एवं मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के निर्माणाधीन प्लैट के परिसर आवंटियों जिनपर शासनादेशानुसार के सेवाकर देयता बनती है, सेवाकर जमा कराने हेतु सूचना देने हेतु मांग-पत्र प्रेषित कर दिये गये हैं। कुछ मांग-पत्र वापस प्राप्त हुए हैं। दिनांक 28.04.2015 तक भुगतान अपेक्षित है। यदि किसी आवंटो का मांग-पत्र नहीं मिला है, कृपया कार्यालय से प्राप्त कर यथा निर्धारित तिथि से पूर्व भुगतान सुनिश्चित करें।

स्थल :- सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, जागृति विहार, मेरठ

मेरठ जोन के अन्तर्गत ट्रांसपोर्ट नगर, शास्त्रीनगर, जागृति विहार, माधवपुरम योजना में व्यावसायिक भूखण्डों/ ग्रुप हाउसिंग/मल्टीप्लेक्स भूखण्ड/दुकानों/संस्थागत एवं हेल्थ सेन्टर आदि सम्पत्तियों की नीलामी

भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	एफ.ए. आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	भूमिदर फ्रीहोल्ड सहित (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य (प्रति नग)	टोकन मनी की धनराशि
शास्त्री नगर योजना संख्या-3, मेरठ							
व्यवसायिक भूखण्ड (आई ब्लॉक) 01 नग							
I.S.-116/2	128.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	10.50	42560.00	5447680	544768
व्यवसायिक भूखण्ड (एल ब्लॉक) 02 नग							
CPL-1001 (Corner)	461.25	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	10.50	46816.00	21593880	2159388
CPL-1002	322.87	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	10.50	42560.00	13741347	1374135
दुकानें डी एवं के ब्लॉक (29 नग)							
DS-4,5,8	13.19					1835575	183557
DS-12	6.56					912917	91292
DS-14,20,24,25,26	13.19					1835575	183557
DS-27,28	24.88					3462404	346240
DS-30,31,32,33,34,35	24.13					3358030	335803
K-1	8.062					930216	93022
K-2,3,4,10,12,15,16	9.099					1049868	104987
K-17,18,22,25	8.131					938177	93818

जागृति विहार योजना संख्या-6, मेरठ							
दुकानें सेक्टर-3 (05 नग)							
S-3/11, S-3/12, S-3/13, S-3/15, S-3/16	14.19					2163250	216325

शास्त्रीनगर योजना संख्या-7, मेरठ							
इंस्टीट्यूशनल भूखण्ड सेक्टर-13 (01 नग)							
INS-1	3639.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	35112	127772568	12777257

व्यावसायिक भूखण्ड सेक्टर-3 (01 नग)							
3/Comm-A	1360.26	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	42560	57892666	5789267
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ							
हेल्थ सेंटर भूखण्ड							
Sector-1 (Corner)	8740.39	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	22176.00	193826889	19382689

मल्टीप्लेक्स भूखण्ड							
2/MP-01 (Corner)	7300.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	29568.00	215846400	21584640
व्यावसायिक भूखण्ड सेक्टर-3 (01 नग)							
2CP-1	1701.50+203.50	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	29568.00	56327040	5632704
2PR-1 (पार्किंग हेतु)	= 1905.00						

जागृति विहार योजना संख्या-11, (विस्तार), मेरठ							
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (02 नग)							
2/GH-1 (Corner) (Gen)	10400.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	25872.00	269068800	26906880
2/GH-2 (Corner) (Gen)	11000.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	25872.00	284592000	28459200

नोट :- माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-2सीपी-1 जिसका क्षेत्रफल 1701.50 व.मी. है जिस पर उपविधि के अनुसार मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा तथा 2पीआर-1 जिसका क्षेत्रफल 203.50 व.मी. है, व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-2सीपी-1 के साथ पार्किंग हेतु उपलब्ध है जिस पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।

वसुन्धरा योजना/सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद की व्यावसायिक/ आवासीय सम्पत्तियों को प्राप्त करने का सुनहसा अवसर

वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में व्यावसायिक भूखण्ड/आफिस कम कार्मशियल, संस्थागत भूखण्ड, नर्सिंग होम भूखण्ड/सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड/हेल्थ सेन्टर भूखण्डों एवं आवासीय मवन (दो मजिले) सम्पत्तियों का विवरण

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद (अनावासीय सम्पत्तियाँ)					
भूखण्ड संख्या	भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित दर (रु. में) (प्र. व. मी.)	टोकन धनराशि (रु. में)
व्यावसायिक भूखण्ड 15 / सी.पी.-51 11 / सी.पी.-5, 16ए / एस.सी.पी.-13 16ए / सी.पी.-2154	4	10.00 से 800.00	सामान्य सामान्य आर.जी.एस.	93632.00 से 94080.00	94100.00 से 7526400.00
संस्थागत भूखण्ड 4 / आई.एन.एस.-5 4 / आई.एन.एस.-6 4 / आई.एन.एस.-12	3	3657.50 से 6564.33	सामान्य	70560.00 से 77616.00	25807400.00 से 51105000.00
होटल भूखण्ड 4 / एच.-1	1	3558.30	सामान्य	103488.00	36824200.00
सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड सेक्टर-4	1	1038.00	सामान्य	50820.00	5275200.00
नर्सिंग होम भूखण्ड 2ए / एन.एच.-2	1	1026.00	सामान्य	70560.00	7239500.00
हेल्थ सेन्टर भूखण्ड सेक्टर-1 / 3 / एच.सी.	2	3250.00 से 5232.52	सामान्य	70224.00 से 70560.00	22932000.00 से 36745000.00

सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद (अनावासीय सम्पत्तियाँ)				
व्यावसायिक भूखण्ड 9 / काम.-2	1	461.18	सामान्य	80080.00
नर्सिंग होम भूखण्ड 9 / एन.एच.-1	1	3090.11	सामान्य	54600.00
सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड सेक्टर-9	1	1986.26	सामान्य	39325.00

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद की (आवासीय सम्पत्तियाँ)				
दो मजिला एफ-60 प्रकार (भूतल) आवासीय मवन				
16बी / 233	4	98.68 से	सामान्य	5366500.00 से
16बी / 236		218.35		11002200.00 से
16बी / 237, 16बी / 240				550110.00

सामान्य सूचना:- (1) समस्त सम्पत्तियों की नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा। (2) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सीलड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100/- जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) सम्पत्ति सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। (4) आवासी सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर (आवेदन पत्र नीलामी के दो दिन पूर्व तक तथा सीलड बिड नीलामी से एक दिन पूर्व) कार्यालय कार्यदिवस में सायं 05.00 बजे तक जमा करना होगा। नीलामी तिथि को प्रातः 10.30 बजे तक टोकन निर्गत किये जायेंगे। तदोपरान्त प्रातः 11.00 बजे से नीलामी को कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। (5) आरक्षित भूखण्डों के विरूद्ध फर्म/पंजीकृत सोसाइटी पर कोई आरक्षण अनुमत्य नहीं है तथा पावर आफ एटार्नी एवं अधिकृत पत्र के आधार पर बोली लगाना अनुमत्य न होगा। (6) प्रदेश के सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्